

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प012(48)वन/2016

जयपुर, दिनांक:- 25.01.2017

आदेश

राजस्थान वन सेवा अधिनियम, 1962 के नियम 31(1)(बी) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.01.2017 की अनुशंभानुसार निम्नलिखित सहायक वन संरक्षकों को उपलब्ध उप वन संरक्षक (सीनियर स्केल) की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यभार संभालने की तिथि से पे-बेण्ड-III (15600-39100) ग्रेड पे- 6600 में उप वन संरक्षक (सीनियर स्केल) के पद पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्व श्री	चयन वर्ष	पदोन्नति तिथि
1	उपेन्द्र मिश्रा	2016-17	2.9.2016
2	हेमन्त सिंह हापावत	2016-17	2.9.2016
3	देवेंद्र भारद्वाज	2016-17	2.9.2016
4	दिनेश कुमार गौड	2016-17	2.9.2016
5	खेमराज शर्मा	2016-17	2.9.2016
6	ओम प्रकाश चौधरी	2016-17	2.9.2016
7	गोतम राज मेहता	2016-17	2.9.2016
8	नवनीत कुमार ठाकुर	2016-17	2.9.2016
9	कुलभूषण शर्मा	2016-17	2.9.2016
10	नरेन्द्र कुमार शर्मा	2016-17	2.9.2016
11	लायक अली	2016-17	2.9.2016
12	राजीव कपूर	2016-17	2.9.2016
13	रामचन्द्र सिंह ओगरा	2016-17	2.9.2016

उक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31(ए) के उप नियम 11(ए) में दिए गए प्रावधानानुसार किया जावेगा। कम संख्या 5 एवं 8 के अतिरिक्त अन्य समस्त पदोन्नत अधिकारी अपने पदस्थापित स्थान पर ही कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा कम संख्या-5 श्री खेमराज शर्मा एवं कम संख्या-8 श्री नवनीत कुमार ठाकुर के पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एस0एल0पी0 (सी0) संख्या 5079-5083/2015 एवं एस0 बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 5663/2000 शिवचरण गुप्ता बनाम सरकार में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd.

(चुन्नी लाल सैनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, वन मंत्री
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
5. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
6. रक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार मित्तल)
अनुभागाधिकारी